N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0150 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 24/07/2024 19:47 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 18/06/2024 Date To (दिनांक तक): 23/07/2024

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 11:55 बजे Time To (समय तक): 15:34 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 24/07/2024 Time (समय): 18:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 24/07/2024 19:47:58 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): EAST, 65 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): KARYALYA JILA PARIVHAN, ADHIKARI PIPAR SAHAR JODHPUR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): KARAN SINGH

(b) Father's Name (पिता का नाम): BHAWAR SINGH

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1992 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	RIYA STHA RI PIPAR SAHAR, PIPAR SAHAR, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	RIYA STHA RI PIPAR SAHAR, PIPAR SAHAR, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SURENDRA KUMAR BHADU		पिता:JOGIRAM BHADU	1. KURDAYA,MERTA CITY,NAGAUR,RAJASTHAN,IN
2	ROSHAN		पिता:KISTUR RAM	1. 83,KRISHNA NAGAR,MANGRA PUJLA,JODHPUR

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर विषयः- रिश्वत मांगने वाले अधिकारी(कर्मचारी) के विरूद्व कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत। महोदय जी निवेदन है कि मै करणसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपुत आयु 32 साल निवासी पीपाड़सिटी रिया कार्यलय जिला परिवहन अधिकारी पीपाड़ शहर यातायात सलाहाकार के कार्य करता हूँ मैने उक्त कार्यालय दो वाहनो का पुनः रजिस्टेशन करवाने के लिए राकेश पुत्र सोहनलाल व सम्पतराज पुत्र शिवनाथराम की पत्रावली पूर्ण दस्तावेज के साथ तैयार कर जमा करवाने पर विधिवत राशि जमाकर रसीद प्राप्त की। उक्त कार्यालय का संबधित बाबु श्री सुरेन्द्र जी ने उक्त दोनो पुनः रजिस्टेशन करवाने के 3500 रू प्रत्येक फाईल के हिसाब से स्वंय एवं श्री सुशील कुमार परिवहन इस्पेक्टर के लिए रिश्वत के तौर पर मांग रहा है मै मेरे जाईज काम के ऐ्वज मे रिश्वत नही देकर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हॅू मेरी श्री सुरेन्द्र व सुशील कुमार से व्यक्तिगत दुश्मनी व लेनदेन नही है। कानूनी कार्यवाही करवावे 18-06-2024 भवदीय एस.डी. करणसिंह करणसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी रिया सेठा की पिपाड शहर जोधपुर एस.डी. राकेश कुमार एस.डी राजेश कुमार 19-06-2024 23-07-2024 एस.डी. शिवशंकर शर्मा 19 -06-2024 एस.डी. मुकेश मेघवाल मुकेश मेघवाल 08-07-2024 कार्यवाही पुलिस दिनांक 18-06-2024 समय 11.55 एएम इस समय परिवादी करणसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुत आयु 32 साल निवासी रिया सेठा तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर मे उपस्थित होकर मन गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मैं जिला परिवहन कार्यालय पीपाड़शहर यातायात सलाहाकार के रूप मे कार्य करता हूँ जिसके के तहत वाहन मालिको के आवेदन पर सम्पूर्ण दस्तावेज तैयार करवाकर वाहनो का रजिस्टेशन पुन रजिस्टेशन करवाने आदि कार्य करता हूँ मैने हाल ही में वाहन मालिक राकेश व सम्पतराज के वाहनो का पुन रजिस्टेशन करवाने के लिए दो पत्रावलियां पूर्ण रूप से तैयार संबधित कनिष्ठ लिपिक श्री सुरेन्द्र कुमार को पेश की, जिन्होने उक्त पुनः रजिस्टेशन करवाने के ऐवज में अपने स्वंय व श्री सुशील कुमार परिवहन इस्पेक्टर के लिए प्रत्येक पत्रावली के 3500 रूपये के हिसाब से दो पत्रावलिया के 700 रूपये रिश्वत के तौर पर मांग रहा है। मै उन्हे मेरे जायज काम के लिए रिश्वत नही देकर इन दोनो को रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़वाकर कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूँ । दरियाफत पर परिवादी श्री करणंसिंह ने अपनी हस्त लिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्यो को ताईद करते हुए बताया श्री सुशिल कुमार परिवहन निरीक्षक बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी है जो अपने कार्यालय के बाबुओं एवम अन्य यातायात सलाहाकारों के मार्फत प्रत्येक कार्य के ऐवज मे रिश्वत प्राप्त करता है वगैरा रिपोर्ट से प्रथम दृष्टाया मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यथा संषोधित 2018 का पाया जाने पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय मे पदस्थापित श्री रामचन्द्रसिंह कानि नं 432 को अपने कार्यालय कक्ष मे बुलाकर पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री करणसिंह व कानि का आपसी परिचय करवाकर कानि को बुलाने के मंतव्य से अवगत करवाया गया। तत्पश्चात कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकार्डर अलमारी से निकलवाकर उसमे नया मैमोरी कार्ड डलवाया गया। तत्पश्चात मैमोरी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी करणसिंह व कानि रामचन्द्रसिंह को डिजिटल वॉईस रिकार्डर के सचांलन की विधि समझाईस कर आवश्यक हिदायत के साथ डिजिटल वाइस रिकार्ड श्री रामचन्द्रसिंह कानि को सुपुर्द किया जाकर रिश्वती राशि मांग की वार्ता करवाने के लिए परिवादी करणसिंह के साथ उनके निजी वाहन से पिपाड़शहर के लिए के रवाना किया। उसी रोज 4-32 पी.एम. कानि. रामचन्द्रसिंह व परिवादी करणसिंह पुनः ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित आये। कानि रामचन्द्रसिंह ने डिजिटल वॉइस रिकार्डर स्वीच ऑफ शुदा उप अधीक्षक को सुरक्षित हालात मे सुपुर्द किया। परिवादी करणसिंह ने बताया कि मै ओर कानि रामचन्द्रसिंह मेरे निजी वाहन से ब्यूरो कार्यालय से रवाना पीपाड़शहर स्थित जिला परिवहन कार्यालय के पास पहुचे जंहा पर श्री रामचन्द्रंसिंह ने मुझे आवश्यक हिदायत देकर डिजिटल वॉइस रिर्काडर स्विच ऑन कर सुपुर्द किया। जिस मैं वंहा से रवाना होकर आपके निर्देशानुसार जिला परिवहन कार्यालय मे श्री सुशील कुमार परिवहन निरीक्षक के कक्ष मे गया जंहा पर सुशील कुमार अपने कक्ष मे बैठे मिले। जिनसे मैने मेरे दो पत्रावलीयां जो पुनः रजिस्टेशन की है जो सुरेन्द्रकुमार कनिष्ठ लिपिक को पूर्व मे सुपुर्द की गई के बारे में वार्ता करने पर श्री सुशील कुमार ने मुझे श्री सुरेन्द्र कुमार से मिलने को कहा तब मैं पास ही स्थित सुरेन्द्र कुमार के कक्ष में गया एवं श्री सुरेन्द्र कुमार से मेरे उपरोक्त कार्य के संबधं मे वार्ता करने पर इंशारो मे रिश्वत राशि की मांग की मेरे द्वारा राशि कम करने की विनती करने पर श्री सुरेन्द्र कुमार ने मेरे पत्रावलियों पर अपरूल

करवाने के ऐवज मे अपने लिए पर प्रत्येक पत्रावली के 300 रूपये एवं श्री सुशील कुमार के लिए रिश्वत के लिए दोनो पत्रावलियों की अपरूल के एवज मे 5000 रूपये बतौर रिश्वत देने के लिए कहा। मेरे द्वारा पुनः विनति करने पर अपने स्वंय एवम सुशील कुमार के लिए 5000 रूपये बतौर रिश्वत की मांग की। उक्त वार्ता डिजिटल वाईस रिकार्डर मे रिकार्ड है। मेरी श्री सुशील कुमार व सुरेन्द्र कुमार से उपरोक्त वार्ता होने के पश्चात में पुनः एकातः मे अपनी उपस्थित छिपाये खड़े रामचन्द्रसिंह कानि के पास आया एवम डिजिटल वॉइस रिकार्डर उनको सुपुर्द किया। रामचन्द्रसिंह द्वारा डिजिटल वॉइस रिकार्डर स्विच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। मैने उपरोक्त समस्त हालात श्री रामचन्द्रसिंह को बताये तत्पश्चात हम दोनो मेरे निजी वाहन से पीपाड़ से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय जोधपुर पहुचं हैं। जिस पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल वॉइस रिकार्डर को ऑन कर रिकार्ड वार्ता को सुनने पर परिवादी द्वारा उपरोक्त बताऐ गये तथ्यों की ताईद होकर श्री सुशील कुमार के कहने पर श्री सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ लिपिक से मिलने पर श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा परिवादी के उपरोक्त जायज कार्य की एवज मे 5000 हजार रूपयें रिश्वत राशि मांगने की पुष्टि हुई। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही कल दिनांक 19.6.2024 को करने का निर्णय लेकर टेप कार्यवाही में दो स्वतत्र मौतबिरो के लिए सहायक अभियंता ए-3 डिस्कॉम जोधपुर को पत्र जारी किया गया एवं जरिये टेलिफोन वार्ता कर दो गवाहान को पाबंद करवाया गया। ताबाद परिवाद श्री करणसिंह को कल दिनांक 19-06-2024 को समय 9.00 ए.एम. पर आरोपीगणो को दी जाने वाली रिश्वती राशि 5000 रूपये साथ लेकर पुनः ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत के साथ रूखस्त किया गया। डिजिटल वॉइस रिकार्ड उप अधीक्षक पुलिस अपनी अलमारी मे रखकर अलमारी को लॉक कर चाबी अपने पास सुरक्षित रखी गई। दिनांक 19-06-2024 वक्त 9-35 ए.एम. पूर्व से पाबंद सुदा दो कार्मिक सहायक अभियंता कार्यालय से उपस्थित आये। जिनसे उनका परिचय पुछने पर श्री शिवशंकर पुत्र रामकिशोर शर्मा आयु 41 साल जाति ब्राहाम्ण निवासी मकान नं0 ओ 662 विवेक विहार कुड़ी हाउसिग बोर्ड के पास जोधपुर राज हाल तकनिशियन कार्यालय सहायक अभियंता ए-3 जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर राज0। मो0 नं0 व श्री राकेश कुमार मीणा पुत्र भगवान सहाय मीणा आयु 41 साल जाति मीणा निवासी माधवनगर मोडा बालाजी वार्ड न0 02 दौसा राज0 हाल तकनिशियन कार्यालय सहायक अभियंता ए-3 जोधपुर डिस्ककॉम जोधपुर राज0। मो.नं. होना बताया। जिस पर उक्त दोनो कार्मिको उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर उनको बुलाने के मतंव्य से अवगत करवाया गया। वक्त 11.55 ए.एम. परिवादी श्री करणसिंह ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित आया तथा उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि आरोपीगणो को दी जाने वाली रिश्वति राशि साथ लेकर आया हॅू। जिस पर कार्यालय मे उपस्थित दोनो कार्मिको एवं परिवादी श्री करणसिंह का आपस में परिचय करवाकर, परिवादी द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट को दोनो कार्मिको को पढाई गई तथा ब्यूरो का डिजिटल वॉइस रिकार्डर अलमारी से सुरक्षित निकाल कर परिवादी तथा आरोपीगणो के मध्य दिनांक 18-06-2024 को वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन हुई वार्ता को सुनाया गया। दोनो कार्मिको द्वारा परिवादी की रिपोर्ट को पढ़कर एवम रिकार्ड वार्ता को सुनकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही मे स्वतत्र गवाहान रहने की मौखित स्वीकृती दी एवम परिवादी की रिपोर्ट पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। डिजिटल वॉइस रिकार्डर में लगा मैमोरी कार्ड जिसमें परिवादी व आरोपीगणो की वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यपान हुई वार्ता रिकार्ड है उक्त मैमोरी कार्ड को सुरक्षित हालत में डिजिटल वॉइस रिकार्डर से निकालकर लिफाफा मे डालकर लिफाफे को मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैडकानि को संभलाया जाकर सुरक्षित मालखाना मे रखवायागया। तत्पश्त वक्त 11.25 ए.एम. पर उप अधीक्षक पुलिस परिवादी श्री करणसिंह को आरोपीगणो को दी जाने वाली रिश्वति राशि पेश करने को कहा गया, जिस पर परिवादी ने भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोट कुल राशि 500 रूपये रूबरू मौतबिरान उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये। जिस पर कार्यालय हाजा मे पदस्थापित महिला कानि श्रीमती सुषीला नं 103 को कार्यालय कक्ष मे तलब किया गया एवम परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टातः फिनोफथलिन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट व सुपर्द रिश्वति राशि में अंकित करवाकर श्रीमती सुषीला महिला कानि से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलिन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो को श्रीमती सुषीला महिला कानि 103 से अखबार के उपर रखवाकर नोटो पर हल्का हल्का फिनोफथलिन पाउडर लगवाया। परिवादी श्री करणसिंह की जामा तलाषी गवाह श्री राकेश कुमार मीणा से लिवाई जाकर मोबाईल फोन परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 5000 रूपये जो श्री सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ लिपिक कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी विभाग पीपाड़शहर जिला जोधपुर व अन्य को दी जानी है की राशि के नोटों को परिवादी श्री करणसिंह के पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में 500-500 रूपये के 10 नोट कुल राशि 500 रूपये को श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री करणसिंह को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में से निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। टेम्प पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर कर या गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस भ्र.नि. ब्यूरो जोधपुर के मोबाईल नं. पर रिश्वती राशि आदान-प्रदान होने पर मिस काल या काल कर गोपनीय इशारा करें। तत्पष्चात् एक साफ प्लास्टिक के (डिस्पपोजल) गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच

सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर नोटो पर पाउडर लगवाने वाली महिला कानि के हाथ को डुबोकर धुलवाया गया। घोल कर रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया। सोडियम कार्बोनेट एवम फिनोफथलिन पाउडर के मिश्रण के क्रिया प्रतिक्रिया का दृष्टात दिया जाकर सभी उपस्थितान को समझाया गया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द पेशकसी रिश्वति राशि एवम दृष्टात फिनोफथलिन पाउडर एवम सोडियम कार्बोनेट व सुपुर्दगी रिश्वति राशि मुर्तिब की जाकर शामिल रनिग नोट की गई। वक्त 11-50 ए.एम. पर गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस हमराह श्री करणसिंह परिवादी स्वतत्र गवाह श्री शिवशकंर शर्मा राकेश कुमार मीणा ब्यूरो जाप्ता श्री रामकिशोर सउनि पुलिस मधुमति हैडकानि नं 89 अचलाराम हैडकानि नं 67 रामचन्द्रसिंह कानि 432 अर्जुनसिंह कानि नं 319 प्रकाश कानि 265 गणेश कुमार कानि 219 मय ट्रेप बाक्स लेपटटोप प्रिन्टर व अन्य ट्रेप सामग्री के सरकारी वाहन टवेरा चालक श्री खम्माराम कानि नं 356 व परिवादी के निजी वाहन से ब्यूरो कार्यालय से पीपड़शहर के लिए रवाना होकर जिला परिवहन कार्यालय पीपाड़शहर के पास पहुंचा जहाँ पर एकांत मे दोनों वाहन खड़े करवाकर परिवादी को आवश्यक समझाईष कर कार्यालय से साथ लाया डिजिटल वाइस रिकार्डर मे नया मैमोरी कार्ड डालकर, खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाइस रिकार्ड का स्विच आन कर परिवादी को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत के साथ आरोपी गणो से रिश्वत राशि आदान प्रदान करने के लिए जिला परिवहन कार्यालय को रवाना किया गया एवं श्री रामचन्द्रसिंह कानि व प्रकाश कानि को परिवादी के पीछे आवश्यक दुरी बनाकर उन पर गोपनिय नजर रखने के लिए पैदल रवाना किया गया। उप अधीक्षक पुलिस एवम समस्त हमरान ने भी अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुवे पौजिशन लेकर परिवादी के गोपनीय इशारे के इंजतार मे व्यस्त हुवे। वक्त 1-35 पी.एम. पर परिवादी श्री करणसिंह पुनः उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित हुआ व डिजीटल वाइस रिकार्डर उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया जिसको उप अधीक्षक पुलिस द्वारा स्वीच आफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री करणसिंह ने बताया कि श्री सुरेन्द्रसिंह अपने कार्यालय कक्ष मे अन्य व्यक्तियों के साथ बैठा मिला। मैं कुछ समय उनके पास बैठकर मेरे कार्य के बारे मे वार्ता करने लगा तो मुझे हाथों के इशारो से जाने को कहा साथ ही धीरे से कहा कि नवल से मिल लो जिस पर मैने उनको तय की गई रिश्वती राशि नवल को देने का कहा तो वह कोई उतर नहीं देकर अन्य वंहा बैठे लोगो से बात करने लगा तथा मुझे हाथो से जाने का इशारा किया। तब मैं वहां से चल कर आ गया। उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी करणसिंह से पुछा गया कि यह नवल नाम का व्यक्ति कौन है। जिस पर परिवादी ने बताया कि नवल भी यातायात सलाहाकार है तथा जिला परिवहन कार्यालय परिसर मे ही बैठता है। जिस पर परिवादी को गोपनीय रूप से नवल की उपस्थिति का पता करवाया गया, तो परिवादी द्वारा पता कर बताया कि नवल अपनी सीट पर नही है तथा कही बाहर जाना ज्ञात हुआ है। जिस पर परिवादी को डिजिटल वाइस रिकार्डर के संचालन की पुनः विधि समझाईस कर परिवादी को सुपुर्द कर अपने कक्ष मे जाकर बैठने एवं अपना दैनिक कार्य करने की हिदायत कर, कहा गया कि जब भी श्री सुरेन्द्र कुमार आपसे सम्पर्क करे तो आप डिजिटल वाइस रिकार्डर आन कर उनके पास जाकर राशि का आदान-प्रदान करें एवम राशि आदान- प्रदान होने पर पूर्व निर्धारित गोपनीय इशारा करे ताबाद परिवादी को आवश्यक हिदायत के साथ अपने कार्यालय कक्ष के लिए रवाना किया साथ ही श्री रामचन्द्रसिंह कानि व प्रकाश कानि को परिवादी पर गोपनीय निगरानी रखने के लिए आवश्यक हिदायत के साथ परिवादी के पीछे-पीछे रवाना किया। उप अधीक्षक पुलिस समस्त हमरायान के जिला परिवहन कार्यालय के आस पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुवे परिवादी के गोपनीय इशारे के इंतजार मे व्यस्त हुवे। कुछ समय पष्चात परिवादी श्री करणसिंह बिना गोपनीय ईशारे किये उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर बताया कि श्री सुरेन्द्र कुमार भी कही बाहर चला गया है आज रिश्वत राशि का आदान प्रदान नही हो सकता जिस पर परिवादी से पुछा गया कि श्री सुशील कुमार परिवहन इस्पेक्टर सुरेन्द्र कुमार द्वारा तय की गई रिश्वत राशि प्राप्त कर सकता है क्या तब परिवादी ने बताया कि सुशील कुमार सीधे पैसो का लेन-देन नही कर श्री सुरेन्द्र के मार्फत ही पैसे लेता है। ऐसी स्थिति मे रिश्वत राशि का आदान प्रदान आज नही होने की सम्भावना पर ब्यूरो टीम को एकत्रित कर मय परिवादी के सरकारी व परिवादी के निजी वाहन से ब्यूरो कार्यालय जोधपुर को रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय जोधपुर पहुंचा । परिवादी करणसिंह की पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखवाई गई रिश्वति राशि गवाह श्री राकेश कुमार मीणा से निकलवाई जाकर गिनवा कर पांच हजार रूपये एक सफेद लिफाफे मे डलवाये गये। परिवादी द्वारा आज कोई अन्य जरूरी काम मे जाने का बताने के कारण फर्द ट्रासकिप्टे आईन्दा बनाने का निर्णय लिया गया। रिश्वति राशि का लिफाफा व डिजिटल वाइस रिकार्डर श्री अचलाराम हैडकानि को सम्भलाया जाकर सुरक्षित मालखाना मे रखवाया गया। तत्पष्चात परिवादी श्री करणसिंह को निर्देशित किया गया कि जब भी आरोपीगण सम्पर्क करे तुरन्त उप अधीक्षक पुलिस से जरिये मोबाईल सम्पर्क कर सूचना दे तथा गवाहान को हिदायत दी गई उप अधीक्षक पुलिस की स्वीकृति के बिना जोधपुर से बाहर नही जाए तथा मेरे द्वारा बुलाये जाने पर शीघ्र ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित आवें। तत्पश्चात परिवादी व गवाहान को आवश्यक हिदायत के साथ रूखस्त किया गया। दिनांक 08 -07-2024 वक्त 1-15 पीएम पर परिवादी श्री करणसिंह ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व हमरा आये एक व्यक्ति का परिचय श्री मुकेश मेघवाल पुत्र श्री बंशीलाल मेघवाल उम्र 32 वर्ष पेशा यातायात सलाहकार जिला परिवहन कार्यालय पीपाड़ शहर जिला जोधपुर निवासी रामपोल आश्रम के पास खेजड़ला रोड़ पीपाड़ शहर जिला जोधपुर होना बताया एवं साथ ही बताया कि मुकेशमेघवाल भी जिला परिवहन कार्यालय पीपाड़ में मेरे साथ ही यातायात सलाहकार के रूप मे कार्य करता है। मेरे उपरोक्त दोनों पत्रावलीयों के पुनः रजिस्ट्रेषन कार्य वर्तमान तक पेडिंग

है तथा श्री सुशील कुमार परिवहन निरीक्षक व सुरेन्द्र कुमार बाबु जी बिना रिश्वत दिये मेरा काम नहीं कर रहे है। दिनांक 19-06-2024 को टे्प कार्यवाही का आयोजन करने पर संबंधित संदिग्ध कर्मचारी श्री सुरेन्द्र कुमार कनिश्ठ सहायक नहीं मिलने के कारण रिश्वती राशि का आदान-प्रदान नहीं हो सका तथा उस रोज के बाद आरोपीगण को मेरे पर श्क हो जाने के कारण मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त नहीं कर मेरे काम की एवज में बार-बार मुकेश को मेरे कार्य की एवज में तय की गई रिश्वती राशि देने को कह रहा हैं तथा अब वह दोनों तय की गई रिश्वती राशि श्री मुकेश मेघवाल से प्राप्त करेंगें। जिस पर श्री मुकेशसे पूछताछ कर कार्यवाही में सह परिवादी रहने एवं परिवादी करणसिंह को अपनी ओर से अग्रीम कार्यवाही करवाने के लिए सह परिवादी श्री मुकेशको अधिकृत करने पर परिवादी द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत शिकायत श्री मुकेश मेघवाल को पढ़ाई जाकर अग्रीम कार्यवाही करवाने हेतु सहमत होने पर परिवादी की मूल षिकायत पर सह परिवादी श्री मुकेश मेघवाल के दिनांकित हस्ताक्षर करवाये। साथ ही परिवादी ने बताया कि आज समय कम होने के कारण अग्रीम टे्प कार्यवाही संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति सुनिष्चित होने पर हमारे द्वारा आपको जरिये फोन सुचित कर अग्रीम कार्यवाही करवाई जायेगी। दिनांक 21.07.2024 को ब्यूरो मुख्यालय के आदेष क्रमांक 2820 दिनाक 13.07.2024 के द्वारा उप अधीक्षक पुलिस को मुख्यालय पर आयोजित 03 दिवसीय न्यू क्रिमिनल लॉ 2023 इन्डेक्षन कोर्स में शामिल होना था इसलिए उच्च अफसारान के निर्देषानुसार मन उप अधीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया। साथ ही श्री चक्रवर्ती सिह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा भी मुझे ब्यूरो चैकी एसयू जोधपुर मे जाकर श्री गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस से सम्पर्क करने हेतु निर्देशित किया जिसकी पालना मैं दिनांक 21.07.2024 को ब्यूरो चैकी एसयू जोधपुर में जाकर मैं श्री गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस से सम्पर्क किया। जिन्होनं उच्च अधिकारीयो के निर्देशानुसार मन निरीक्षक पुलिस को अग्रिम टे्प कार्यावाही करने हेतु निर्देषित कर परिवादी करणसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुत आयु 32 साल निवासी रिया सेठा री तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर द्वारा दिनांक 18-06-2024 को पेष रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात व फर्दात एवं रनिंग नोट की पत्रावली का अवलोकन करवाकर सुपुर्द कर कार्यालय के मालखाना से रिष्वति राशि 5000 रूपये का लिफाफा तथा डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड निकलवाया गया। डिजिटल वाइस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड जिसमें परिवादी करणसिंह व सुशील कुमार परिवहन निरीक्षक व सुरेन्द्र कुमार कनिश्ठ सहायक के मध्य वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता रिकार्ड है को मन निरीक्षक पुलिस को सुनाया जाकर रिश्वती राशि रखा लिफाफा एवं डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के सुरक्षित हालात में सुपुर्द किया गया। मन निरीक्षक पुलिस को उप अधीक्षक पुलिस द्वारा बताया गया कि दिनांक 19.06.2024 को टे्प कार्यवाही का आयोजन करने पर संबंधित संदिग्ध कर्मचारी श्री सुरेन्द्र कुमार कनिश्ठ सहायक नहीं मिलने के कारण रिश्वती राशि का आदान-प्रदान नहीं हो सका। दिनांक 08.07.2024 को श्री करणसिंह ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व हमरा आये एक व्यक्ति का परिचय श्री मुकेशमेघवाल पुत्र श्री बंषीलाल मेघवाल उम्र 32 वर्ष पेशा यातायात सलाहकार जिला परिवहन कार्यालय पीपाड़ शहर जिला जोधपुर निवासी रामपोल आश्रम के पास खेजड़ला रोड़ पीपाड़ शहर जिला जोधपुर होना बताया एवं साथ ही बताया कि मुकेशमेघवाल भी जिला परिवहन कार्यालय पीपाड़ में मेरे साथ ही यातायात सलाहकार के रूप मे कार्य करता है। मेरे उपरोक्त दोनों पत्रावलीयों के पुनः रजिस्ट्रेषन कार्य वर्तमान तक पेडिंग है तथा श्री सुशील कुमार, परिवहन निरीक्षक व सुरेन्द्र कुमार बाबु जी बिना रिश्वत दिये मेरा काम नहीं कर रहे है तथा मेरे काम की एवज में बार-बार मुकेशसे रिश्वती राशि देने को कह रहा हैं तथा अब वह दोनों मेरे काम की एवज में तय की गई रिश्वती राशि श्री मुकेशमेघवाल से प्राप्त करेंगे। जिस पर श्री मुकेशसे पूछताछ कर कार्यवाही में सह परिवादी रहने एवं परिवादी करणसिंह को अपनी ओर से अग्रीम कार्यवाही करवाने के लिए सह परिवादी श्री मुकेशको अधिकृत करने पर परिवादी द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत शिकायत श्री मुकेश मेघवाल को पढ़ाई जाकर अग्रीम कार्यवाही करवाने हेतु सहमत होने पर परिवादी की मूल षिकायत पर सह परिवादी श्री मुकेश मेघवाल के दिनांकित हस्ताक्षर करवाये। साथ ही परिवादी ने बताया कि आज समय कम होने के कारण अग्रीम टेप कार्यवाही संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति सुनिष्चित होने पर हमारे द्वारा आपको जरिये फोन सुचित कर अग्रीम कार्यवाही करवाई जायेगी। साथ ही उप अधीक्षक पुलिस द्वारा बताया गया कि मैनें आपके मोबाईल नम्बर परिवादी श्री करणसिंह को देकर उन्हे निर्देषित किया है कि आरोपी जब भी आपसे सम्पर्क कर रिश्वती राशि मांग करे तो निरीक्षक पुलिस से सम्पर्क करें। तत्पष्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी करणसिंह द्वारा दिनांक 18-06-2024 को पेश रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात व फर्दात एवं रनिंग नोट की पत्रावली का पुनः अवलोकन कर पत्रावली अपने पास सुरक्षित रखी व रिश्वति राशि का लिफाफा व डिजिटल वाइस रिकार्डर श्री अचलाराम हैड.कानि को सम्भलाया जाकर सुरक्षित मालखाना मे रखवाया गया। हालात उच्च अफसरान को निवेदन किये गये एवं ब्यूरो चैकी के लिए रवाना हुआ। दिनांक 22-07-2024 वक्त 07.06 पी.एम. पर श्री गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपने मोबाईल नम्बर   से मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर   पर का॑ल कर बताया कि श्री करणसिंह परिवादी का मन उप अधीक्षक पुलिस के पास फोन आया तथा बताया कि आज श्री सुरेन्द्र कुमार कनिश्ठ सहायक परिवहन कार्यालय में मिला तथा मेरे काम करने की एवज में पूर्व में तय की गई रिश्वती राशि 500 रूपये की मांग की है तथा मेरे द्वारा उक्त राशि की व्यवस्था कर कल दिनाक 23-07-2024 को तय की गई राशि देने का आष्वासन दिया है। आप कल दिनांक 23-07-2024 को परिवादी से सम्पर्क कर अग्रीम टे्प कार्यवाही का आयोजन करे

जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा ब्यूरो चैकी एसयू जोधपुर के स्टाफ को दिनांक 23-07-2024 को प्रातः 9-30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित रहे साथ ही कानि. श्री अर्जुनसिंह को निर्देषित किया कि उक्त टे्‌प के संबंध मे पूर्व पाबंद शुदा गवाहान को कल दिनांक 23-07-2024 को प्रातः 9.00 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने का पाबंद करें। दिनांक 23-07-2024 वक्त 9.00 ए.एम. मन् निरीक्षक पुलिस ब्यूरो चैकी एसयू जोधपुर उपस्थित हुआ। इसी दौरान पूर्व से पाबंद शुदा दो स्वतंत्र गवाह श्री शिवशंकर पुत्र रामकिशोर शर्मा आयु 41 साल जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं0 ओ- 662 विवेक विहार कुड़ी हाउसिग बोर्ड के पास जोधपुर राजस्थान हाल तकनिशियन कार्यालय सहायक अभियंता ए-3 जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर राजस्थान मोबाईल नंबर, व श्री राकेश कुमार मीणा पुत्र भगवान सहाय मीणा आयु 41 साल जाति मीणा निवासी माधवनगर मोडा बालाजी वार्ड नं 02 दौसा राज0 हाल तकनिशियन कार्यालय सहायक अभियंता ए- जोधपुर डिस्काम जोधपुर राजस्थान मो.नं होना बताया। जिस पर उक्त दोनो कार्मिको मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर उनको बुलाने के मतंव्य से अवगत करवाया गया। साथ श्री राजेश् कुमार ने मन निरीक्षक पुलिस को बताया कि पूर्व से आपकी कार्यवाही में आये स्वतंत्र गवाह श्री राकेष कुमार किसी अपरिहार्य कारण से आज ब्यूरो पर उपस्थित नहीं हो सका बताया कि श्री अजयकुमार सिंह सहायक अभियंता ए 3 जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर ने मुझे ब्यूरो कार्यलाय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया है। अतः मैं आज श्री शिवशकर तकनिषियन के साथ उपस्थित हुआ हूं। उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री करणसिंह द्वारा पेष हस्तलिखित रिपोर्ट संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करवाया गया। गवाह श्री राजेश कुमार ने परिवादी श्री करणसिंह की रिपोर्ट को पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर किये गये। श्री अचलाराम हैड कानि. 67 से पूर्व मे मालखाना में सुरक्षित रखवाये गये डिजिटल वाईस रिकार्डर को निकलवाया जाकर डिजिटल वाइस रिकार्डर को आन कर दिनांक 18-06-2024 को परिवादी श्री करणसिंह एवं सुशील कुमार परिवहन निरीक्षक व सुरेन्द्र कुमार के मध्य हुई रूबरू रिश्वती राशि मांग सत्यापन के मुख्य मुख्य अंष को गवाहान को सुनाये जाकर उनसे अग्रीम टेप कार्यवाही में गवाह रहने की मौखिक सहमति प्राप्त की गई। डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड को जिसमें पूर्व में रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता रिकार्ड है को निकलवाया जाकर एक लिफाफा में डालकर सुरक्षित हालात में अलमारी में रखा गया तथा एक नया मैमोरी कार्ड मालखाना से मंगवाया जाकर खाली होना सुनिष्चित कर कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर (डीवीआर) में लगवाया जाकर डीवीआर अपने पास सुरक्षित रखा गया। दिनांक 23-07-2024 वक्त 11-10 ए.एम. मन् मनीश वैश्णव निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री करणसिंह से सम्पर्क कर ब्यूरो टीम की रवाना होने की सूचना देकर उनको पीपाड़ शहर कस्बे से बाहर मिलने का स्थान निर्धारित किया गया। तत्पष्चात वक्त 11-15 ए.एम. मन् मनीश वैषणव निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय हाजा के मालखाना से रिष्वति राशि 5000 रूपये का लिफाफा रूबरू गवाहान के मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. 67 से निकलवाया जाकर श्री गणेष कुमार कानि. 219 को सुपुर्द कर सरकारी वाहन टवेरा के डस्कबोर्ड के ड्रा में रखवाया गया। ताबाद मन् निरीक्षक पुलिस मय गवाह श्री शिवशकंर शर्मा राकेश कुमार मीणा मय रिश्वति राशि के लिफाफा के ब्यूरो जाप्ता श्री रामकिशोर सउनि पुलिस अचलाराम हैड.कानि नं 67 रामचन्द्रसिंह कानि 432 अर्जुनसिंह कानि नं0 319 प्रकाश कानि 265 गणेश कुमार कानि 219 मय ट्रेप बाक्स डिजिटल वाइस रिकार्डर एवं नये मैमोरी कार्ड लेपटाप प्रिन्टर परिवादी के कार्य से संबंधित पत्रावली व अन्य ट्रेप सामग्री के सरकारी वाहन टवेरा चालक श्री प्रकाश कानि 265 व से ब्यूरो कार्यालय से पीपड़शहर के लिए रवाना हुवे। तत्पष्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा कस्बा पीपाड़शहर से थोड़ा पहले पूर्व निर्धारित गोपनीय स्थान पर पहुचं जहां पर परिवादी श्री करणसिंह अपने निजी वाहन सहित उपस्थित मिला। जिस पर वाहनों को सड़क के किनारे खड़े करवाकर परिवादी श्री करणसिह को मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर उन्हे बताया गया कि उच्च अफसारन के निर्देषानुसार अग्रीम टे्‌प कार्यवाही मन निरीक्षक पुलिस द्वारा की जा रही है तथा परिवादी से सम्पूर्ण हालात पूछताछ किये गये। परिवादी का स्वतंत्र गवाहान श्री राजेश कुमार मीणा एवं श्री षिव षंकर से आपस में परिचय करवाया गया। परिवादी की जामा तलाषी गवाह श्री शिवशकंर शर्मा से लिवाकर परिवादी के पास उसके मोबाईल के अलावा कोई भी आपतिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पष्चात स्वतंत्र गवाह श्री शिवशकंर शर्मा एवं श्री राजेष कुमार मीणा की उपस्थिति में श्री गणेष कुमार कानि 219 से सरकारी वाहन टवेरा के डस्कबोर्ड के ड्रा में रखे रिष्वति राशि 5000 रूपये का लिफाफा निकलवा कर लिफाफा में रखी राशि 5000 रूपये निकलवा कर नोटों को उपर नीचे करवाकर परिवादी के पहनी हुई शर्ट की बांयी जेब में रखवाये गये तथा लिफाफा को जलाकर नश्ट करवाया गया। श्री गणेश् कुमार कानि0 219 के दोनो हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी श्री करणसिंह को डिजिटल वाईस रिकार्डर को संचालन की विधी समझाई तथा संचालन के दौरान डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई उक्त वार्ता को हटाकर मैमोरी कार्ड खाली होना सुनिष्चित कर डीवीआर परिवादी को आवष्यक हिदायत के साथ सुपुर्द किया गया एवं परिवादी को हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि का आदान प्रदान होने पर मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर, पर मिस काल कर या वार्ताकर गोपनीय ईशारा करें। ताबाद परिवादी श्री करणसिंह को आवष्यक हिदायत के साथ डिजिटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर उनके निजी वाहन से हमरा कानि. प्रकाष के रवाना किया गया। तत्पष्चात परिवादी श्री करणसिंह मन निरीक्षक पुलिस के पास बिना ईषारे किये पुनः उपस्थित आया तथा बताया कि हम

आपके पास से रवाना होकर परिवहन कार्यालय के सामने पहुचें जहां पर श्री प्रकाष कानि. ने अपनी उपस्थिति छुपाते हुए पौजिषन ली तथा मैं आपकी हिदायतानुसार डीवीआर का स्वीच आन कर अपने पास गोपनीय रूप से सुरक्षित रख श्री सुरेन्द्र कुमार कनिश्ठ सहायक मिलने एवं रिश्वत राशि आदान प्रदान के लिए परिवहन कार्यालय में स्थित सुरेन्द्र कुमार के कक्ष में पहुचां जहा पर सुरेन्द्र कुमार उपस्थित मिला जिनसे मेरे काम के बारे में वार्ता हुई। वार्ता के दौरान श्री सुरेन्द्र कुमार ने पूर्व मे तय की रिश्वती राशि की मांग की तथा रिश्वती राशि श्री रोशन यातायात सलाहकार को देने हेतु कहा जिस पर मैं उन्हें उनके द्वारा तय की गई राशि 5000 रूपये श्री रोषन को देने का कह कर मेरे कार्यालय कक्ष में आया तथा डीवीआर का स्वीच आफ कर आपसे सलाह मषविरा करने आया हूं। जिस पर डीवीआर को आन कर मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी के कथनों की ताईद हुई जिस पर रिश्वती राशि आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार के कहे अनुसार श्री रोषन यातायात सलाहकार को देने हेतु आवष्यक हिदायत कर डीवीआर पुनः परिवादी श्री करणसिंह को सुपुर्द कर रवाना किया गया। वक्त 3.34 पी.एम. पर परिवादी करणसिंह पुत्र श्री भंवरसिह भाटी जाति राजपूत उम्र 32 वर्ष निवासी रिया सेठा री पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ने पूर्व निर्धारित गोपनीय ईषारा अपने मोबाईल नम्बर से श्री रामकिशोर सहायक उप निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर के मोबाईल पर वार्ता कर रिश्वती राशि का आदन-प्रदान होने की बात बताई जिस पर पास ही गाड़ी में बैठे श्री रामकिशोर ने मन निरीक्षक पुलिस को रिश्वती राशि का आदन-प्रदान होने की बात बताई जिस पर मन निरीक्षक पुलिस हमरा दोनों मौतबिरान ब्यूरो जाब्ता को साथ लेकर पीपाड़ शहर से बोरूदा जाने वाली रोड़ पर जिला परिवहन कार्यालय में प्रवेश हुआ एवं कार्यालय के बांयी तरफ बने भवन में खड़े परिवादी के पास पहुचां एवं उन्हे पूर्व में दिया गया डिजिटल वाईस रिकार्डर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री करणसिंह ने एक व्यक्ति जो परिवहन कार्यालय से बाहर की तरफ जा रहा था कि तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री रोशन पंवार है जिसने अभी-अभी मेरे से श्री सुरेन्द्र कुमार के कहे अनुसार 5000/-रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की आगे की बायीं जेब में रखी है। जिस पर परिवहन कार्यालय से बाहर जा रहे व्यक्ति को मन निरीक्षक पुलिस समस्त हमरायन का परिचय देकर उसका परिचय पूछने पर बताया कि मेरा नाम रोशन पंवार पुत्र किस्तूर राम जाति मेघवाल उम्र 42 वर्ष निवासी मकान नम्बर 83 कृष्णानगर मंगरा पूजला जिला जोधपुर हाल यातायात सलाहकार कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर होना बताया। जिस पर श्री रोशन पंवार को साथ लेकर परिवहन कार्यालय में प्रवेश किया जिसमें जिला परिवहन कार्यालय कक्ष के सामने हाॅल में एक व्यक्ति चैक का शर्ट व जिन्स पेन्ट पहने हुए खड़ा मिला। परिवादी ने उस व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक है जिन्होनें मेरे दो ग्राहकों के वाहनों का पुनः रजिस्टेªशन करवाने की एवज में अपने स्वयं एवं परिवहन निरीक्षक श्री सुशील कुमार के लिए 5000 रूपये मांग कर श्री रोशन पंवार यातायात सलाहकार को दिलवाये है। जिस पर उस व्यक्ति को मन निरीक्षक एवं समस्त हमारायान का परिचय देकर उसका परिचय पूछने सुरेन्द्र कुमार भादू, पुत्र श्री जोगीराम भादू उम्र 29 वर्ष जाति जाट निवासी गांव कुरड़ायाँ तहसील मेड़ता सिटी जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर पर उसने अपना नाम होना बताया। जिस पर श्री सुरेन्द्र कुमार को भी साथ लेकर सामने स्थित जिला परिवहन कार्यालय में पहुचां जहां पर एक व्यक्ति वर्दी पहने हुए कुर्सी पर बैठा हुआ मिला जिसके नेम प्लेट पर सुशील लिखा हुआ था। जिन्हें मन निरीक्षक पुलिस समस्त हमरायान का परिचय देकर उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होनें अपना नाम सुशील कुमार उपाध्याय पुत्र श्री मोहनलाल उम्र 43 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 331 332 धनेश कालोनी सारण नगर अजमेर रोड़ जोधपुर हाल परिवहन निरीक्षक अतिरिक्त चार्ज जिला परिवहन अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर होना बताया। तत्पश्चात अग्रीम टेªप कार्यवाही करते हुए श्री प्रकाश कानि. से उनका मोबाईल का कैमरा चालू करवाकर विडियो रिकार्डिंग करवाते हुए श्री सुशील कुमार परिवहन निरीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक श्री रोशन पंवार यातायात सलाहकार से बारी-बारी परिवादी श्री करणसिंह को पहचाने एवं परिवादी से कोई राशि प्राप्त करने के बारे में पूछा गया तो उक्त तीनों द्वारा परिवादी की पहचान श्री करणसिंह यातायात सलाहकार जिला परिवहन कार्यालय पीपाड़ शहर होना बताया। साथ ही श्री सुशील कुमार एवं श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा परिवादी से किसी प्रकार की राशि प्राप्त करने से इनकार किया। पास ही खडे़ श्री रोशन पंवार ने बताया कि श्री करणसिंह ने अभी-अभी मुझे 5000 रूपये दिये है। जो राशि मैंनें अपने पहनी हुई पेंट की आगे की बायीं जेब में रखे है। जिस पर श्री रोशन पंवार यातायात सलाहकार को राशि किसके लिए एवं किस काम की एवज में लिए हैं के बारे में पूछने पर श्री रोशन पंवार ने बताया कि श्री करणसिंह मेरा सहकर्मी होने के कारण मुझे दी थी, किस बात के पैसे दिये मुझे नहीं बताया था। मैनें सहकर्मी के नाते श्री करणसिंह के द्वारा दी गई राशि प्राप्त कर मेरी पहनी पेंट की बायीं जेब में रखी है जो मेरी जेब में पड़ी। जिस पर सह आरोपी श्री रोशन पंवार के दोनों हाथ कलाई के उपर से उपस्थित जाप्ते से सुरक्षा की दृष्टि से पकड़वाया जाकर सरकारी गाड़ी में रखा टेªप बाक्स मंगवाकर रूबरू गवाहान के अग्रिम हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। टेªप बाक्स में से दो प्लास्टिक डिस्पोजल के साफ गिलास निकाल कर उक्त डिस्पोजल गलासों में कार्यालय कक्ष में रखे पानी के कैम्पर में से साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त डिस्पोजल की दो गिलासो को भरवाया गया। उक्त दोनो गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगण ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। एक गिलास के तैयार

रंगहीन घोल में सहआरोपी श्री रोशन पंवार यातायात सलाहकार के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने उक्त घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉंच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे डिस्पोजल गिलास के तैयार रंगहीन घोल में सहआरोपी श्री रोशन पंवार, यातायात सलाहकार के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी झाईनूमा हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने उक्त घोल के रंग को हल्का गुलाबी झाईनूमा होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉंच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पष्चात उपरोक्त धोवन में प्रयुक्त की डिस्पोजल गिलासों को कार्यालय के डस्टबिन में डलवाया गया। तत्पश्चात सह आरोपी श्री रोशन पंवार यातायात सलाहकार की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री राजेश कुमार से लिरवाने पर सह आरोपी श्री रोशन पंवार के पहनी हुई पेंट की आगे की बायीं जेब में 500-500 रूपये के का एक बंडल मिला जिसे श्री राजेश कुमार से गिनवाने पर कुल राशि 500 -रूपये होना पाई गई। गवाह श्री शिव शंकर को पूर्व से मुर्तिब फर्द पेशकशी रिश्वती राशि सुपुर्द कर पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बर का मिलान उक्त बरामदगी राशि के नोटों के नम्बरों से करवाने पर नोटों के नम्बर हूबहू फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों के अनुसार पाये गये। बरामदा रिश्वती राशि का विवरण निम्नानुसार हैः- 1. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 3AM832991 २ . 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 6gc442674 3 . 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 5fk240562 4 . 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 3bh173101 5. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 3mv217715 6. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 0qk382386 7. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 7ue729291 8. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 0ue340519 9. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 9ba094266 10. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 2gl089329 उक्त भारतीय मुद्रा 5000 रूपये को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। सह आरोपी श्री रोशन पंवार की जामा तलाशी मे उनकी पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में 500-500 रूपये के 06 नोट एवं 100-100 रूपये के 02 नोट कुल राशि 3200-रूपये व पहनी शर्ट की जेब से 500-500 रूपये के 17 नोट व 100 रूपये का 01 नोट कुल राशि 8600 रूपये होना पाये गये। जामा तलाशी में मिली कुल राशि 32008600 कुल 11800 रूपये मिले। उक्त राशि के बारे में श्री रोशन पंवार से पूछने पर बताया कि यह राशि तीन दूपहिया वाहन मालिक का नाम ट्रान्सफर करवाने तथा एक ग्राहक का हेवी लाईसंस बनाना था। इस कार्य की ही राशि मुझे प्राप्त हुई थी। जो मेरे पास रखी है । श्री रोशन पंवार का राशि के बारे में दिया गया जवाब संतोषप्रद होने के कारण उक्त राशि 11800 रूपये श्री रोशन पंवार को पुनः लौटाये गये। श्री रोशन पंवार यातायात सलाहकार की जामा तलाशी में उनकी जेब से एक रेडमी कम्पनी का डयूल सीम का मोबाईल फोन पाया गया जिसमें एयरटेल कम्पनी की एक सीम नम्बर आईएमईआई नम्बर 861896063822547 एवं 861896063822554 होना पाया गया। जो प्रकरण में वांछनीय नहीं होने के कारण श्री रोशन पंवार को लौटाया गया। इसी प्रकार श्री सुरेन्द्र कुमार भादू कनिष्ठ सहायक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री राजेश कुमार से लिरवाई गई तो उनके पास 200 रूपये को 01 नोट तथा 100 रूपये का 01 नोट कुल 300 रूपये मिले तथा एक वीवो कम्पनी का मोबाईल जिसमें एक सीम जीओ कम्पनी नम्बर लगी हुई है। जिसके आईएमईआई नम्बर 869657068904116 व 869657068904108 है। दूसरे मोबाईल आई 13 मीनी कम्पनी जिसमें वोडाफोन की एक सीम नम्बर लगी हुई है जिसके आईएमईआई नम्बर 350424817769332 व 350424817712993 है। उक्त नकद के बारे में श्री सुरेन्द्र कुमार से पूछने पर बताया कि ये रूपये मैं मेरे घर से अपनी जेब खर्ची के लिए लाया था। श्री सुरेन्द्र कुमार का उक्त जवाब संतोषप्रद होने के कारण यह राशि पुनः श्री सुरेन्द्र कुमार को लौटाई गई एवं आरोपी के पास उक्त दोनों मोबाईल फोन उन्हे पुनः लौटाये गये। तत्पश्चात सह आरोपी श्री रोशन पंवार के पहनने के लिए अन्य पेंट की व्यवस्था कर पहनी हुई पेंट को उतरवाया गया। इसके बाद टेप बाक्स से एक नया डिस्पोजल गलास निकलवा कर कार्यालय कक्ष में रखे पानी के कैम्पर में से साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त डिस्पोजल की गिलास में भरवाया गया। उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो उक्त घोल रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार घोल में रिश्वती राशि बरामदगी स्थल सह आरोपी की पहनी पेंट की आगे की बायीं जेब को उल्टाकर उक्त रंगहीन घोल में दो-तीन बार डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितान ने घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया गया। उक्त हल्के गुलाबी रंग के घोल को कांच की दो शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर चस्पों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों को शील्ड मोहर किया गया। उक्त पेंट की जेब को सुखोकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थैली में डालकर कपडे़ की थैली को शील्ड मोहर किया गया। तत्पश्चात श्री सुरेन्द्र कुमार भादू कनिष्ठ सहायक से परिवादी के पंेडिंग कार्य के बारे में पत्रावलियां के बारे में पूछने पर श्री सुरेन्द्र कुमार भादू कनिष्ठ सहायक ने बताया कि श्री करणसिंह ने वाहन के पूराने नम्बर डीएल 01 सीवी 5796 के नये नम्बर आरजे 54 सीए 1757 वाहन मालिक श्री राकेश पुत्र श्री

सोहनलाल एवं वाहन के पूराने नम्बर डीएल 01 सीएल 8543 के नये नम्बर आरजे 54 सीए 1756 वाहन मालिक श्री सम्पत राज पुत्र श्री शिवनाथ राम की दो पत्रावलियां तैयार कर नियमानुसार राशि ऑनलाईन जमा करवाकर रसीदें जनरेट कर दोनों वाहन की पत्रावलियां पुनः रजिस्टेशन के लिए प्रस्तुत की जिस पर मैनें दोनोंें पत्रावलियों की जांच कर वाहन नम्बर आरजे 54 सीए 1756 कागजात पूर्ण होने पर अप्रुवल हेतु कार्यालय टिप्पणी के साथ जिला परिवहन कार्यालय में श्री सुशील कुमार, परिवहन निरीक्षक के समक्ष पेश की थी जो दिनांक 25.06.2024 को अप्रुवल हो चुकी है दूसरे वाहन संख्या आरजे 54 सीए 1757 की पत्रावली मेरे कार्यालय कक्ष की टेबल की ड्रा में पड़ी हैं जो रूबरू गवाहन आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार के कार्यालय कक्ष की टेबल की ड्रा से निकालकर श्री सुरेन्द्र कुमार ने पेश उस पत्रावली का अवलोकन कर जो वाहन संख्या आरजे 54 सीए 1757 की होकर पृष्ठ संख्या 01 से 23 तक होना पाई गई जिसके प्रथम व अंतिम पृष्ठ पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो ली गई। तत्पश्चात श्री सुशील कुमार परिवहन निरीक्षक से प्रकरण के संबंध में स्पष्टीकरण पूछने पर उन्होनें बताया कि श्री करणसिह यातायात सलाहकार होने के नाते में इन्हे जानता हूं। इनकी गाड़ी के चालान भरने को लेकर मेरे व श्री करणसिंह के मध्य विवाद होने पर मैनें इसकी शिकायत पुलिस थाने मे की थी जिस पर श्री करणसिंह द्वारा लिखित में माफी नामा दिया गया था। जो आज भी रिकार्ड पर है। इस घटना के बाद श्री करणसिंह को मेरे कार्यालय कक्ष में आने से नजरअंदाज करता था। इसी क्रम में श्री करणसिंह अपने कार्य से मिलने के लिए मैनें बाहर जाने का कहने पर श्री करणसिंह ने कहा कि मैं मेरे काम के लिए सुरेन्द्र कुमार से मिल लू क्या मैने सुरेन्द्र कुमार से मिलने के लिए नहीं कहा था। मेरे पास इसकी एक पत्रावली अपु्रवल के लिए आई थी जो मैनें अप्रुवल कर दी है। अन्य कोई पत्रावली मेरे पास नहीं है जिस पर पास ही खड़े परिवादी श्री करणसिंह ने श्री सुशील कुमार परिवहन निरीक्षक के उक्त कथनों का खण्डन करते हुए बताया कि मेरे ग्राहक दो वाहनों की पत्रावलियां पूर्ण कर मैं श्री सुशील कुमार परिवहन निरीक्षक से मिला तो उन्होनें अपने अधीनस्थ श्री सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक से मिलने को कहा जिस पर मैं श्री सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक से मिला तो उन्होनें मेरी प्रत्येक पत्रावली के 3500 रूपये के हिसाब से अपने स्वयं के लिए एवं श्री सुशील कुमार परिवहन निरीक्षक के लिए मांगे, मेरे द्वारा विनती करने पर 5000 रूपये लेने के लिए सहमत हुआ जिस पर मैं श्री सुशील कुमार परिवहन निरीक्षक से पुनः जाकर मिला एवं श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा मांगी गई राशि ज्यादा होने की बात कही एवं राशि कम करने के लिए आपके के लिए कहा जिस पर श्री सुशील कुमार परिवहन निरीक्षक ने सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक से ही मिलने की बात कही। इसी प्रकार श्री सुरेन्द्र कुमार से परिवादी को पहचानने एवं उससे कोई राशि मांगकर व राशि किसी को दिलाने के बारे में स्पष्टीकरण पूछने पर श्री सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि मैं श्री करणसिंह को जानता हूं। ये एक यातायात सलाहकार है इनसे मैने किसी प्रकार की कोई राशि की मांग नहीं की है और न ही किसी को राशि देने को कहा है। जिस पर पास ही खडे़ परिवादी श्री करणसिंह ने श्री सुरेन्द्र कुमार के उपरोक्त कथनों का खण्डन करते हुए बताया कि श्री सुरेन्द्र कुमार झूठ बोल रहे है। मेरे ग्राहको के दो वाहनों का पुनः रजिस्टेशन करवाने की पत्रावलियां तैयार कर अपु्रवल करवाने के लिए श्री सुरेन्द्र कुमार को पेश की एवं श्री सुशील कुमार परिवहन निरीक्षक से मिला तो उन्होनें अपने अधिनस्थ श्री सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक से मिलने को कहा जिस पर मैं श्री सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक से मिला तो उन्होनें मेरी प्रत्येक पत्रावली के 3500 रूपये के हिसाब से अपने स्वयं के लिए एवं श्री सुशील कुमार परिवहन निरीक्षक के लिए मांगे, मेरे द्वारा विनती करने पर 5000 रूपये लेने के लिए सहमत हुआ जो तय की गई राशि मैं आज श्री सुरेन्द्र कुमार से देने के लिए मिला तो उन्होनें अपने व श्री सुशील कुमार परिवहन निरीक्षक के लिए मेरे काम की एवज में 5000 -रूपये श्री रोशन पंवार यातायात सलाहकार को देने की बात कहीं जिस पर मैं अपने कार्यालय में आकर डिजिटल वाईस रिकार्डर स्वीच आफ कर श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा श्री रोशन पंवार को राशि देने की बात कहने के बारे में जरिये फोन वार्ता करने पर आप द्वारा सुरेन्द्र कुमार के कहे अनुसार राशि श्री रोशन पंवार को देने की बात कही जिस मैं स्वयं डिजिटल वाईस रिकार्डर को आन कर परिवहन कार्यालय के अन्दर हाॅल में गया तो अन्दर श्री रोशन पंवार, श्री सुरेन्द्र कुमार के पास ही खड़ा मिला था। जिन्हे सुरेन्द्र कुमार के कहे अनुसार उक्त रिश्वती राशि 5000 रूपये श्री रोशन पंवार को दिये जिन्होनें उक्त राशि अपनी पहनी हुई पेंट की बांयी जेब में रखी है। जिस पर सह आरोपी श्री रोशन पंवार से परिवादी से प्राप्त की गई राशि के बारे में पूछने पर श्री रोशन पंवार ने बताया कि श्री करणसिंह मेरा सहकर्मी होने के कारण राशि मुझे दी थी किस बात के पैसे दिये मुझे नहीं बताया था। मैनें सहकर्मी के नाते श्री करणसिंह के द्वारा दी गई राशि प्राप्त कर मेरी पहनी पेंट की बायीं जेब में रखी है जो मेरी जेब में पड़ी। जिस पर पास ही खडे़ परिवादी श्री करणसिंह ने रोशन पंवार के उपरोक्त कथनों का खण्डन करते हुए बताया कि मैनें श्री सुरेन्द्र कुमार के सामने उनके कहे अनुसार मेरे कार्य की एवज में तय की गई राशि 5000 -रूपये श्री सुरेन्द्र कुमार के सामने ही श्री रोशन पंवार को दिये जिन्होनें उक्त राशि अपनी पहनी हुई पेंट की बांयी जेब में रखी है। उक्त कार्यवाही की श्री प्रकाश कानि 265 के मोबाईल से विडियोग्राफी करवाई गई। वक्त 6.35 पी.एम. पर आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार भादू कनिश्ठ सहायक के कार्यालय कक्ष की रूबरू मौतबिरान खाना तलाषी ली जाकर फर्द खाना तलाषी मुर्तिब की गई। वक्त 7 पी.एम.पर मन निरीक्षक पुलिस रूबरू मौतबिरान श्री षिव षंकर एवं श्री राजेष कुमार के परिवादी श्री करणसिंह की निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका एवं हालात मुर्तिब किया गया। फर्द पर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। वक्त 9 पी. एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार भादू, पुत्र श्री जोगीराम भादू उम्र 29 वर्ष जाति जाट निवासी गांव

कुरड़ायाँ तहसील मेड़ता सिटी जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर को रूबरू मौतबिरान उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। वक्त 9.35 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री रोशन पंवार पुत्र श्री किस्तूर राम उम्र 42 वर्ष जाति मेघवाल निवासी मकान नम्बर 83 कृष्णानगर मंगरा पूजला जिला जोधपुर हाल यातायात सलाहकार कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर को रूबरू मौतबिरान उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। वक्त 10.20 पी.एम.पर परिवादी श्री करणसिंह को कल सुबह ब्यूरो चैकी उपस्थित आने की आवष्यक हिदयात देकर रूखसत किया गया। मन निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान एवं गिरफ्तार शुदा आरोपीगण के मय ब्यूरो जाब्त आर्टिकल्स लेकर सरकारी वाहन टवेरा मय स्वतत्र गवाहन के चैकी एसयू जोधपुर के लिए रवाना होकर ब्यूरो चैकी एसयू जोधपुर पहुचां। फर्दातनुसार प्रकरण में जब्तषुदा आर्टिकल, सह आरोपी श्री रोशन पंवार यातायात सलाहकार के दोनों हाथों के धोवन की शील्ड शुदा षीषीयां मार्क आर.एच. 1, आर.एच. 2, एल.एच. 1, एल.एच. 2, सह आरोपी श्री रोशन पंवार के पहनी हुई पेंट की बायीं जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई उसके धोवन की शील्ड शुदा शीशीयां मार्क पी-1 व पी-2 तथा कपडे० की थैली में शिल्ड शुदा रिश्वती राशि 5000/- रूपये तथा सह आरोपी श्री रोशन पंवार के पहनी हुई पेंट जिसकी जेब से रिश्वती राशि बरामद हुई का कपड़े की थैली में शील्ड शुदा पैकेट को मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. नं. 67 को सुरक्षित हालात में सम्भलाये जाकर जमा मालखाना करवाये गये एवं कार्यवाही से सम्बन्धित पत्रावली, डिजीटल वाईस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा। दिनांक 24.07.2024 को वक्त 12. 05 पी.एम.पर परिवादी श्री करणीसिंह ब्यूरो चैकी पर उपस्थित हुआ। मन निरीक्षक पुलिस की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा डीवीआर जिसके मैमोरी कार्ड में वक्त रिश्वती राशि लेन-देन की पूर्व एवं वक्त लेन-देन वार्ता रिकार्ड है। उक्त मैमोरी कार्ड को डीवीआर से निकालकर लिफाफे में डालकर सुरक्षित रखा। तत्पश्च्चात कार्यालय में उपस्थित गवाहान एवं परिवादी श्री करणसिंह के समक्ष दिनांक 18.06.2024 को परिवादी श्री करणसिंह एवं श्री सुशील कुमार परिवहन निरीक्षक व आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार भादू कनिष्ठ सहायक के मध्य हुई वक्त रिश्वति राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वायस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है तथा मैमोरी कार्ड मेरी अभिरक्षा में लिफाफे में रखकर अलमारी में सुरक्षित रखा गया है। उक्त मैमोरी कार्ड को लिफाफे से निकालवाकर पुनः डीवीआर में लगाकर मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कार्यालय श्री देवाराम कानि. 373 द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रुबरु मौतबिरान व परिवादी श्री करणसिंह के रिकार्ड वार्ता को सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वाॅयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्तां में परिवादी श्री करणसिंह ने अपनी व आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार भादू व श्री सुशील कुमार परिवहन निरीक्षक की आवाज की पहचान की। उक्त वार्तालाप की विभागीय लेपटाॅप की मदद से दो सीडीयां तैयार की गई। डिजीटल वायस रिकार्डर में लगा मूल मैमोरी कार्ड को निकालकर कपड़े थैली में डालकर कपड़े की थैली को शील्ड मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। दोनों सीडीयों को डब मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। उक्त मेमोरी कार्ड शील्ड पैकेट व दोनों डब सीडीयों को मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैडकानि. 67 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। वक्त 02.10 पी. एम.पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखा मेमोरी काॅर्ड जिसमें दिनांक 23.07.2024 को रिश्वती राशि लेन-देन से पूर्व एवं वक्त रिश्वती राशि लेन-देन परिवादी करणसिह व आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार एवं सह आरोपी श्री रोषन पंवार की वार्ता रिकार्ड है, को लिफाफे से निकालकर रूबरू मौतबिरान के डीवीआर में लगाया जाकर डीवीआर को कार्यालय के लेपटाप से कनेक्ट कर रिकार्ड वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी की उपस्थिति में सुन-सुन कर शब्द ब शब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि लेन-देन पूर्व एवं वक्त लेन-देन वार्ता की मुर्तिब की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वाँयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्तां में परिवादी श्री करणसिंह ने अपनी व आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार भादू व सह आरोपी श्री रोषन पंवार की आवाज की पहचान की। उक्त वार्तालाप की विभागीय लेपटाप की मदद से दो सीडीयां तैयार की गई। डिजीटल वायस रिकार्डर में लगा मूल मैमोरी कार्ड को निकालकर कपड़े थैली में डालकर कपड़े की थैली को षील्ड मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। दोनों सीडीयों को डब मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। उक्त मेमोरी कार्ड षील्ड पैकेट व दोनों डब सीडीयों को मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैडकानि. 67 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। प्रकरण में श्री सुशील कुमार परिवहन निरीक्षक अतिरिक्त चार्ज जिला परिवहन अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर द्वारा वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी द्वारा उनसे मिलने पर उनको अपने अधीनस्थ श्री सुरेन्द्र कुमार भादू, कनिष्ठ सहायक से मिलने के लिए कहना । उनके कहे अनुसार परिवादी द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार भादू, से मिलने पर श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा परिवादी से 3500/-रूपये प्रति फाईल के अनुसार अपने स्वयं व श्री सुशील कुमार परिवहन निरीक्षक के लिए मांग करना तथा परिवादी द्वारा विनती करने पर 5000/- रूपये रिश्वती राशि लेने के लिए सहमत होना तथा आज दिनांक 23.07.2024 को वक्त रिश्वती राशि लेन-देन पूर्व परिवादी करणसिंह एवं आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार भादू के मध्य रिश्वती राशि आदान-प्रदान होने के क्रम आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार भादू द्वारा मांगी गई राशि अपने स्वयं एवं श्री सुशील

कुमार के लिए होना जो राशि आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार भादू द्वारा श्री रोशन पंवार यातायात को दिलवाना आदि तथ्यों से श्री सुशील कुमार परिवहन निरीक्षक अतिरिक्त चार्ज जिला परिवहन अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की भूमिका संदिग्ध है। जो प्रकरण के अनुसंधान के दौरान गहन अनुसधान से स्पष्ट होगी। अब तक की कार्यवाही से श्री सुरेन्द्र कुमार भादू, कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर द्वारा परिवादी श्री करणसिंह यातायात सलाहकार के दो वाहानों की पुनः रजिस्टे्शन करवाने की पत्रावलियां का अप्रुवल करवाने की एवज में परिवादी से 3500/- रूप्ये प्रति पत्रावली के हिसाब से अपने स्वयं एवं श्री सुशील कुमार परिवहन निरीक्षक के लिए मांग करना। परिवादी द्वारा राशि कम करने की विनती करने पर 5000/-रूपये लेने के लिए सहमत होना। आरोपी श्री सुरेन्द्र कुमार भादू कनिष्ठ सहायक द्वारा तय की गई रिश्वती राशि का आदान-प्रदान करने के लिए आज दिनांक 23.07.2024 को परिवहन कार्यालय में परिवादी से मिलने पर श्री सुरेन्द्र कुमार भादू द्वारा रिश्वती राशि श्री रोशन पंवार यातायात सलाहकार को देने हेतु कहा गया जिस पर परिवादी श्री करणसिंह द्वारा सुरेन्द्र कुमार भादू के सामने उसके कहे अनुसार 5000/-रूपये श्री रोशन पंवार ने प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की बांयी जेब में रखी है। जहां से ब्यूरो द्वारा बरामद की गई। आरोपीगण का उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 बीएनएस 2023 का कारित करना पाया गया। अतः श्री सुरेन्द्र कुमार भादू, पुत्र श्री जोगीराम भादू उम्र 29 वर्ष जाति जाट निवासी गांव कुरड़ायाँ तहसील मेड़ता सिटी जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर एवं सह आरोपी श्री रोशन पंवार पुत्र श्री किस्तूर राम उम्र 42 वर्ष जाति मेघवाल निवासी मकान नम्बर 83 कृष्णानगर मंगरा पूजला जिला जोधपुर हाल यातायात सलाहकार कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 बीएनएस 2023 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है। भवदीय, (मनीष वैषणव) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर कैम्प ब्यूरो चोकी एसयू जोधपुर ....कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मनीष वैष्णव पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस0यू0 जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से विरूद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 7 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 भारतीय न्याय संहिता 2023 में आरोपी 1.श्री सुरेन्द्र कुमार भादू पुत्र श्री जोगीराम भादू उम्र 29 वर्ष निवासी कुरडाया तहसील मेड़तासिटी जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी पीपाड़ शहर जोधपुर 2. श्री रोशन पंवार पुत्र श्री किस्तूर राम मेघवाल उम्र 42 वर्ष निवासी मकान नम्बर 83 कृष्णा नगर मगरा पूंजला जोधपुर हाल यातायात सलाहकार कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री चक्रवर्ती सिह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 102 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 784-87 दिनांक 24.07.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर प्रथम । 2. परिवहन आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर । 3 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर। 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एस0यू0 जोधपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** chakrvarti singh rathore **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 24/07/2024 19:5

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1995				
2	Male	1982				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)